HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12478/2026
CNR: RJHC020764512026 | URN: CRLMB / 23028U / 2026

Aasik S/o Jakriya, Aged About 32 Years, R/o Village Bhond, Tehsil Firojpur Jhirka (Haryana).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Sanjay Yadav Mr. Rajveer Saini
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA
Order

14/09/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना रामगढ़, जिला–अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 487/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(2), 340(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता में अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त का पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि हाजर के नाम होना बताया गया है और जिसका कूटरचित होना बताया गया है, से कोई संबंध नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त तो सद्भावी क्रेता है, जिसने प्रतिफल की राशि देकर पंजीकृत विक्रयपत्र से सम्पत्ति क्रय की है। उनका तर्क है कि प्रार्थी सम्पूर्ण संव्यवहार में कहीं भी षडयंत्रकारी नहीं रहा है और न ही ऐसी कोई साक्ष्य ही पत्रावली पर है। उनका तर्क है कि तथाकथित पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 22.12.2023 को करवाना दर्शित है, जबकि प्रार्थी के पक्ष में विक्रयपत्र दिनांक 27.08.2024 को पंजीकृत करवाया गया है, जो तथाकथित पावर ऑफ अटॉर्नी के तुरन्त बाद नहीं करवाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी को पावर ऑफ अटॉर्नी के फर्जी होने की

कोई जानकारी नहीं थी। उनका तर्क है कि प्रार्थी अनुसंधान में भाग लेने के लिए तत्पर है। ऐसे में प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त भी सहअभियुक्तगण हाजर, मौ0 जावेद, जुबेर, मौ0 साबिर, जाकिर, शौकीन के साथ मिला हुआ था और उन्होंने परिवादिनी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर सम्पत्ति हड़पने के लिए मुख्त्यारनामा के आधार पर सम्पत्ति का विक्रयपत्र अपने हक में करवा लिया है। प्रकरण में अभी अन्वेषण किया जाना शेष है। अतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।

हमने तर्क–वितर्क पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध धारा 318(4), 338, 336(2), 340(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता के अपराधों का अभियोग है। प्रार्थी पर यह आक्षेप है कि उसने सहअभियुक्त हाजर व अन्य के साथ मिलकर षड़यंत्र करके परिवादिनी की सम्पत्ति को अपने नाम पंजीकृत करवाया है। पंजीकृत विक्रयपत्र, जो प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षरित है, में इस आशय का तथ्य अंकित है कि मूल खातेदार ने समस्त राशि 7,00,000 रूपये प्राप्त कर ली है, जबकि प्रार्थी–अभियुक्त की पूर्ण जानकारी में था कि उसके द्वारा मूल खातेदार को कोई राशि अदा नहीं की गई है। पंजीकृत विक्रयपत्र में यह तथ्य भी खातेदार की ओर से अंकित है कि खरीददार, खातेदार की गैर मौजूदगी में भी अपने नाम इंतकाल दर्ज करवा सकेंगे, जबकि ऐसे तथ्य तभी अंकित किये जा सकते थे, जब स्वयं खातेदार परिवादिनी मौजूद होती तथा खरीददार को इस बात की जानकारी थी कि खातेदार मौजूद नहीं है, फिर भी नाम इंतकाल का अधिकार ले लिया। प्रार्थी–अभियुक्त के नाम ही करोड़ों रूपयों की जमीन मात्र 7,00,000 रूपये में पंजीकृत हुई है। प्रार्थी से अभी गहन अन्वेषण किये जाने की आवश्यकता है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

61/VISHAL SHARMA